

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-057/2025

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2025 /5.....

प्रार्थी

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड 19-ए बनाम
झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर
302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
मुकेश खिलेरी पुत्र ज्ञानाराम खिलेरी पोर्ट
फोलियो कलेक्शन मैनेजर (अधिकृत
अधिकारी) एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
लिमिटेड 19-ए झुलेश्वर गार्डन अजमेर
रोड जयपुर शाखा नागौर 341001

अप्रार्थीगण

1. कृष्णा ज्वैल्स, प्रोपराईटर, श्रवणराम सोनी पुत्र
रामचन्द्र सोनी, भैरुजी के मंदिर के पास, ग्राम
राजोद तहसील जायल जिला नागौर
2. श्रवणराम पुत्र रामचन्द्र निवासी गोदारो का बास,
ग्राम राजोद तहसील जायल जिला नागौर
3. सुरेश सोनी पुत्र श्रवणराम निवासी ठाकुर कॉलोनी,
राजोद, तहसील जायल जिला नागौर
4. अशोक सोनी पुत्र भैरूलाल निवासी राजोद
तहसील जायल जिला नागौर

आदेश

दिनांक: 22/01/2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रूपये 7,00,000/- (अक्षरे सात लाख हजार रूपये मात्र) दिनांक 31.05.2019 का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- जो ग्राम राजोद के खेत खसरा नम्बर 1130/608 रकबा 0.04.05 बीघा में से 1234.2 वर्गफुट तथा 137.133 स्टेण्डर्ड वर्गगज जिसका रकबा 0.01.08 बीघा उत्तरी साई का स्थित हैं तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जो श्रवणराम द्वारा धारित है। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है- उत्तर में रास्ता है, दक्षिण में सुनील पुत्र हनुमान को दान की गई जमीन है, पूर्व में कुनाराम पुत्र सीगाराम जाट है एवं पश्चिम में रास्ता है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 01.08.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रूपये 4,87,414/- (अक्षरे चार लाख सत्तयासी हजार चार सौ चौदह रूपये मात्र) दिनांक 09.08.2024 तक शेष देय है व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 10.08.2024 को रजिस्टर्ड दिये गये एवं दो समाचार पत्रों में इस नोटिस का प्रकाशन करवाया गया परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 4,87,414/- (अक्षरे चार लाख सत्तयासी हजार चार सौ चौदह रूपये मात्र) दिनांक 09.08.2024 तक शेष देय है व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था परन्तु



2
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक््योरिटीज एवं सिक््योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक््योरिटीज सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति- जो ग्राम राजोद के खेत खसरा नम्बर 1130/608 रकबा 0.04.05 बीघा में से 1234.2 वर्गफुट तथा 137.133 स्टेण्डर्ड वर्गगज जिसका रकबा 0.01.08 बीघा उत्तरी साई का स्थित हैं तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो श्रवणराम द्वारा धारित है। जिसकी चर्तुसीमा इस प्रकार है- उत्तर में रास्ता है, दक्षिण में सुनील पुत्र हनुमान को दान की गई जमीन है, पूर्व में कुनाराम पुत्र सीगाराम जाट है एवं पश्चिम में रास्ता है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रुपये 7,00,000/- (अक्षरे सात लाख हजार रुपये मात्र) दिनांक 31.05.2019 प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बर्तौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- जो ग्राम राजोद के खेत खसरा नम्बर 1130/608 रकबा 0.04.05 बीघा में से 1234.2 वर्गफुट तथा 137.133 स्टेण्डर्ड वर्गगज जिसका रकबा 0.01.08 बीघा



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उतरी साई का स्थित हैं तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जो श्रवणराम द्वारा धारित है। जिसकी चतुसीमा इस प्रकार है- उत्तर में रास्ता है, दक्षिण में सुनील पुत्र हनुमान को दान की गई जमीन है, पूर्व में कुनाराम पुत्र सीगाराम जाट है एवं पश्चिम में रास्ता है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।
आदेश सुनाया गया।



(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
जिला नगौर
नगौर